रजिस्टी सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 979]नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2015/वैशाख 21, 1937No. 979]NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2015/VAISAKHA 21, 1937

कोयला मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली. 8 मई, 2015

का.आ. 1253(अ).— खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्व्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में परन्तुक के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्ति का प्रयोग अपर सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा उस सीमा तक किया जाएगा जहां तक इसका संबंध कोयला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में कोयले और लिग्नाइट से है।

[फा. सं. 110033/1/2015-सीए-II] आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2015

S. O. 1253(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulations) Act,1957 (67 of 1957), the Central Government hereby directs that the power exercisable by it under the proviso to sub-section (1) of Section 5 of the said Act, shall be exercised by Additional Secretary, Ministry of Coal, so far as it relates to coal and lignite in respect of Coal Public Sector Undertakings.

[F. No. 110033/1/2015-CA-II] R. P. GUPTA, Jt. Secy.

2092 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.